

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला पन्ना (म.प्र.)

(दूरभाष नं. 7732-252003, -फैक्स नं. 07732-252002)

-: आदेश :-

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

पन्ना, दिनांक 15/04/2020

इस कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक 622/रीडर/2020 पन्ना दिनांक 28.03.2020 के द्वारा पन्ना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये पन्ना जिला में लॉक डाउन आदेश 28.03.2020 से 16.04.2020 तक के लिये पारित किया गया था। उक्त आदेश की अवधि दिनांक 16.04.2020 से आगामी आदेश तक के लिये बढ़ाई जाती हैं तथा इस अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी छूट आदेश को शामिल करते हुये उक्त आदेश की शेष शर्तों को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश आज दिनांक 15.04.2020 से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभावशील रहेगा तथा आवश्यकता अनुसार उक्त अवधि में संशोधन किया जा सकेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

(कर्मवीर शर्मा)

कलेक्टर


एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 15/04/2020

पृ.क्रमांक/ 633 /रीडर/2020
प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (सी-अनुभाग), मंत्रालय भोपाल।
- 3- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 4- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 5- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 6- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल।
- 7- महानिदेशक, पुलिस मध्यप्रदेश भोपाल।
- 8- आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 9- पुलिस महानिरीक्षक सागर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 10- उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 11- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
- 12- पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना (संबंधित थाना प्रभारियों) को आदेश प्रति भेजने एवं आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13- अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला पन्ना म.प्र.।
- 14- कार्यपालन संचालक एम.आई.डी.सी.।
- 15- अति. पुलिस अधीक्षक, पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
- 16- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना।
- 17- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल जिला पन्ना।
- 18- जिला परिवहन अधिकारी जिला पन्ना।
- 19- जिला आपूर्ति अधिकारी जिला पन्ना।

- 20- सेक्टर मजिस्ट्रेट (अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त) जिला पन्ना
- 21- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), समस्त जिला पन्ना।
- 22- समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला-पन्ना म.प्र.।
- 23- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, पन्ना जिला पन्ना की ओर प्रकाशनार्थ।
- 24- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
- 25- प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी कलेक्ट्रेट पन्ना की ओर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 26- संबंधित समस्त अधिकारी जिला पन्ना।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


15/09/2020
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला पन्ना मध्यप्रदेश